संख्या-52/2023/829/001-22-4-2023-105-बी-98

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊः दिनाँक- 18 सितम्बर,2023**

विषय:- जिला कारागार, सोनभद्र पर नियमित विद्युत आपूर्ति किये जाने के लिए 11 के०बी० फीडर का निर्माण कराये जाने हेतु स्वीकृत आगणन पर जी० एस० टी० की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15395/नम- 2/125/सोनभद्र फीडर / 2017, दिनांक 15-05-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत शासनादेश संख्या-46/2023/186/001-22-4-2023-105-b-98-313424, दिनाँक 31.03.2023 को निरस्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला कारागार, सोनभद्र पर नियमित विद्युत आपूर्ति किये जाने के लिए 11 के० वी० फीडर के निर्माण हेतु स्वीकृत आगणन पर जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 55,76,567.00 की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0 23.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करतीं हैं:-

(1) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(4) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पी0एफ0ए0डी0 के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। विभाग द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय -समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26.08.2014 एवं दिनांक 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(9) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(10) विभाग द्वारा उपकरणों/सामग्री का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(11) विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(12) किसी भी अनियमितता हेतु महानिरीक्षक कारागार / कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे।

(13) जी0एस0टी0 की धनराशि गणना की शुद्धता का समस्त उत्तरदायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(14) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक ए माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है।

(15) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

(16) प्रश्नगत योजना के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-124/2018/813/22-4-18-105(ब)/98, दिनांक 20.08.2018 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी ।

(17) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 23,00,000 (रुपये तेईस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002300 जिला कारागार, सोनभद्र में विद्युत फीडर का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-52/2023/829(1)/001-22-4-2023-105-B-98, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

(3) अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, राबर्टगंज, सोनभद्र ।

(4) जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(5) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार सोनभद्र।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(9) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार विभाग, उ0 प्र0 शासन ।

(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2

(11) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।